संख्या': पी-102/81-2-2020-800(110)/2020

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 20 नवम्बर 2020

विषय- जनपद सुल्तानपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास खण्ड कूरेभार के बल्लीपुर जोन-2 ग्राम रतनपुर तहसील सदर में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.1095 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.01245 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.12195 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।(प्रस्ताव संख्या-11-सी/एफपी/यूपी/वाटर/39692/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या संख्या-1031/11-सी/एफपी/यूपी/वाटर/39692/2019, दिनांक 02-11-2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक0-7-11-2014 तथा 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 एवं दिनांक 27-7-2020 में विहित व्यवस्थानुसार जनपद सुल्तानपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास खण्ड कूरेभार के बल्लीपुर जोन-2 ग्राम रतनपुर तहसील सदर में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.1095 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.01245 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.12195 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

(1)	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।
(2)	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
(3)	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00मी0 गहराई 1.00मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी।
(4)	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
(5)	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

	2
(6)	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
(7)	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
(8)	भूमि का सरफेस राइट् (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
(9)	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
(10)	प्रयोक्ता के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो कराया जायेगा।
(11)	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
(12)	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
(13)	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
(14)	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।
(15)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
(16)	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।
(17)	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(18)	परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

	3
(19)	परियोजना में 0.1095 हे0 आरक्षित वनभूमि प्रस्तावित है । प्रस्तावक को आरक्षित वनभूमि को शासनादेश दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर-1 (3) में विहित व्यवस्थानुसार लीज पर दिया जायेगा। अतएव लीज अवधि अंकित किया जाय ।
(20)	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- पी-102(1)/81-2-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त अयोध्या।
(3)- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सुल्तानपुर।
(5)- अधिशासी अभियंता अति0 निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम सुल्तानपुर।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।